



प्रेस नोट - कार्यालय पुलिस अधीक्षक- जनपद महाराजगंज

जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-दिनांक 01.06.2024

1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***107*** वाहनों का चालान किया गया।

2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- ***00*** व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

3. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

4. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा 34 एक्ट में ***20*** व्यक्तियों के विरुद्ध व 110 जी में ***42*** व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

5. पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु **संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों** के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।

6* . विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- ***00*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

***7*. थानों द्वारा की गयी कार्यवाही-**

***थाना पुरन्दरपुर द्वारा की गयी कार्यवाही*- अभियुक्त 1** – गुडिया पत्नी सदावृक्ष निवासी पोखरभिन्डा टोला नन्द चौराहा थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 143/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। 2- **अभियुक्त बदरी पुत्र दुखी नाथ निवासी टेढी टोला भसहवा थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज 2-** धनेश पुत्र विशुन पासवान निवासी दशरथपुर टोला पड़रहवा थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/24 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

***थाना बरगदवा द्वारा की गयी कार्यवाही*- अभियुक्त 1** – राकेश रौनियार पुत्र सुरेन्द्र रौनियार निवासी नरायनपुर टोला शिकारगढ थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 17 शीशी बीयर बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/24 धारा, 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना कोल्हुई द्वारा की गयी कार्यवाही*- अभियुक्त 1** –कृष्ण कुमार पासवान पुत्र इन्द्रजीत पासवान निवासी महुआरी टोला सुकुल जोत थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के विरुद्ध था थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 नि/24 धारा, 3/4 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना फरेन्दा द्वारा की गयी कार्यवाही*- अभियुक्त 1** –संजय चौहान पुत्र हरीराम चौहान निवासी पोखरभिन्डा थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज द्वारा आय दिन आम जनता से चोरी लूट मारपीट करने के अपराध के क्रम मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 नि/24 धारा, 3/4 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना सिन्दुरिया द्वारा की गयी कार्यवाही*- अभियुक्त 1** –हरीनाथ यादव पुत्र भगवन्त निवासी भिठौरा टोला हड़तोरवा थाना सिन्दुरिया 2- सुल्तान उर्फ नसीमुद्दीन अली पुत्र अमीन निवासी हरखोड़ थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 नि/24 धारा, 3/4 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***थाना निचलौल द्वारा की गयी कार्यवाही*- अभियुक्त 1** – बन्दना चौहान पुत्री स्व0 विजय चौहान निवासी डोमा काटी टोला थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 273/24 धारा, 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

08. जनपद में 01/1-06-2024 को विभिन्न अपराधों में कुल- ***00*** अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।